

संख्या १०११०-२१२७/जी०एम०
दिनांक ०१/११/२००६

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-सी एस जे एम वि वि /सम्ब./८१८/२००६, दिनांक ३०.६.२००६ एवं पत्रांक-सी एस जे एम वि वि /सम्ब./१४१०/२००६, दिनांक १९.१०.२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १७.२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (९०)/२००२, दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इ.गहाबाद।
- ३- प्राचार्य, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव।

श्री ठाकुर जी महाराज

प्रबन्धक
श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव।
हेरवल-उर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव